न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 —153/2020

अनवान : —

1. बिमला पत्नी सज्जन कुमार जाति जाट निवासी गुंजासरी त0 भादरा।

:—वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री मुंशीराम गोस्वामी **वादीगण**
राज पैरोकार **प्रतिवादी**

दिनांकः 24.12.2020

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा डूंगराना तहसील भादरा के खसरा के खाता सं0 114/110 के खसरा सं0 213/2 की 2.529है0, खसरा सं0 651 की 4.705है0 कुल 7.234है0 बारानी खातेदारी जिसमें वादीया सावित्री व वादिया की जेठानी गिरदावरी का 40 हिस्सा बहिस्सा बराबर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपर वर्णित भूमि में दर्ज करते समय वादीया का नाम सावित्री पत्नी सज्जन कुमार दर्ज हो गया जबकि वादीया का सही नाम बिमला पत्नी सज्जन कुमार है। वादीया के आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र, एवं अन्य सभी दस्तावेज बिमला पत्नी सज्जन कुमार के नाम से ही है। वादीया का सभी दस्तावेजों में नाम बिमला पत्नी सज्जन कुमार ही दर्ज है।

उक्त भूल सद्भावी है। उक्त नाम में संशोधन नहीं होने पर वादीया के हितों पर विपरित असर पड़ता है। वादीया उचित लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा हैं। इसलिए वादीया उपरोक्त वर्णित कृषी भूमि व राजस्व रिकार्ड में अपना नाम बिमला पत्नी सज्जन कुमार करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 10:29:48 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी [illegible] पेश किया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

Scanned with CamScanner

साक्ष्य वादी में सावित्री पत्नी पृथ्वीराज जाति जाट के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी रोही मौजा डूगराना खाता सं0 114/110 प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही मौजा डूगराना खाता सं0 100/94 प्रदर्श 2, राशन कार्ड चित्रप्रति प्रदर्श 3ए, पैन कार्ड प्रदर्श 4ए, आधार कार्ड चित्रप्रति प्रदर्श 5ए, मूलनिवास प्रमाण पत्र चित्रप्रति 6ए व भामाशाह कार्ड चित्रप्रति 7ए प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीया ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद, वादी ने रोही मौजा डूंगराना तहसील भादरा के खसरा के खाता सं0 114/110 के खसरा सं0 213/2 की 2.529है0, खसरा सं0 651 की 4.705है0 कुल 7.234है0 बारानी खातेदारी जिसमें वादीया सावित्री व वादिया की जेठानी गिरदावरी का 40 हिस्सा बहिस्सा बराबर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें वादीया का नाम दर्ज करते समय सवंहन से बिमला पत्नी सज्जन कुमार की जगह सावित्री पत्नी सज्जन कुमार दर्ज हो गया। जबकि वादीया का सही नाम बिमला पत्नी सज्जन कुमार है। वादीया ने अपना वाद साबित करने के लिए साक्ष्य में सभी दस्तावेज पेश किये जो सावित्री के नाम से ही है। इस प्रकार वादीया अपना वाद साबित करने में सफल रहा। अतः वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा डूंगराना तहसील भादरा के खसरा के खाता सं0 114/110 के खसरा सं0 213/2 की 2.529है0, खसरा सं0 651 की 4.705है0 कुल 7.234है0 बारानी खातेदारी जिसमें वादीया सावित्री व वादिया की जेठानी गिरदावरी का 40 हिस्सा बहिस्सा बराबर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उसमें वादीया का नाम सावित्री पत्नी सज्जन कुमार की जगह बिमला पत्नी सज्जन कुमार की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच सावित्री के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था में सावित्री के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए भी सावित्री के नाम ही प्रभावी माना जावेगा। तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो वादीगण स्वयं जिम्मेदार होगा। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर R.A.S.
(फास्ट ट्रैक) भादरा
सहायक कलेक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 10:29:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 —153/2020

अनवान : —

1. बिमला पत्नी सज्जन कुमार जाति जाट निवासी गुंजारारी त0 भादरा।

:—वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादी

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकिल वादी श्री मुंशीराम गोस्वामी व प्रतिवादीग राज पैरोकार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा डूंगराना तहसील भादरा के खाता सं0 114/110 के खसरा सं0 213/2 की 2.529है0, खसरा सं0 651 की 4.705है0 कुल 7.234है0 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उसमें वादीया का नाम सावित्री पत्नी सज्जन कुमार की जगह बिमला पत्नी सज्जन कुमार की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 10:29:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner